

कार्यालय उप वन संरक्षक, करौली(राज0)

(गदवा की चौकी, करौली-322241, फोन नं. 07464-297003, Email: dcf.kroli.forest@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ()वसु/उवसं/2022-23/ 708
निमित्त,

दिनांक: 31 / 1 / 2023

अधिशाली अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
खण्ड सपोटरा

विषय:- Diversion of 0.5265 ha. Of forest land in favour of Public Work Department Karauli for Construction of Road from Kota to Pator Km 0/0 to 3/000

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा विषयांकित प्रकरण में सडक निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए है, जिसका अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा Site Inspection कर लिया गया है, एवं वृक्षों की गणना करवा जी गई है। प्रस्ताव का परीक्षण करने पर निम्नांकित कमियां पायी गई-

1. प्रस्ताव के पार्ट-। के बिन्दु संख्या K (a) में FRA हेतु Undertaking Certificate संलग्न किया गया है, जिसमें आपके द्वारा FRA Certificate हेतु Apply किया होना बताया गया है। अतः FRA Certificate हेतु Apply किये गए पत्र की प्रति संलग्न की जानी है।
2. प्रस्ताव के पार्ट-। के बिन्दु संख्या L(i) Whether non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency में Not Applicable हेतु लिखा हुआ है, जिसे Yes किया जाना है, एवं प्रत्यावर्तन के बदले गैर वन भूमि आवंटित की जानी है, ताकि उस पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना प्रस्तावित की जा सके।
3. प्रस्ताव के पार्ट-। के बिन्दु संख्या L (ii) Whether the area of non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency for raising Compensatory Afforestation is less than area of forest land proposed to be diverted में Not Applicable हेतु लिखा हुआ है, जिसे Yes किया जाना है।
4. प्रस्ताव के पार्ट-। के बिन्दु संख्या L (iii) Reason for not providing Non-forest Land में Not Applicable हेतु लिखा हुआ है, जिसे Yes किया जाना है, यदि नहीं तो गैर वन भूमि उपलब्ध नहीं करने का कारण स्पष्ट किया जावे।

अतः उक्त समस्त बिन्दुओं की कमियों की पूर्ती कर प्रस्ताव भिजवावे, ताकि प्रकरण में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

(सुरेश मिश्रा)
उप वन संरक्षक
करौली